

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा-प्र.अ./स्था.पद./2017/ 525 जयपुर,दिनांक: 22/1/18

:: आदेश ::


निम्न पंचायत प्रसार अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान (कॉलम सं.4) पर पंचायत प्रसार अधिकारी के रिक्त पद पर प्रशासनिक/राजहित में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी	कहाँ से	कहाँ को
1	2	3	4
1.	श्री मोहन लाल नोजल	पं.स. खींवसर (नागौर)	जिला परिषद डूंगरपुर
2.	श्री भंवर लाल विश्‍नोई	पं.स. खींवसर (नागौर)	जिला परिषद करौली
3.	श्री ओम प्रकाश गोदारा	पं.स. चिड़ावा (झुंझुनू)	जिला परिषद प्रतापगढ़

यह आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग की आई.डी.संख्या 359/AS/AR-I/17 दिनांक 16.01.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

आज्ञा से,


(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. जिला कलेक्टर संबंधित
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 359/AS/AR-1/17 दिनांक 16.01.2018 के क्रम में।
6. मुख्य/अति. मुख्य कायकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों को तत्काल कार्यग्रहण/कार्यमुक्त कर अविलम्ब पालना रिपोर्ट भिजवाये।
8. आदेश वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि राज्यादेश की पालना में पदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा राज्यादेश की अवहेलना मानी जावेगी।
9. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
10. आदेश पत्रावली


संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त